परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत क्यारी कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :– 2658/III(2)/06-17(प्रा0आ0)/2006 दिनाक 25/09/2006 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग 2.500 कि0मी0 हेतु योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृत ल0 2.50 कि0 मी है परन्तु प्रस्तावित मोटर मार्ग (सबमरजैंस के कि0 मी0 18 से मैहसास तक 4.00 कि0 मी0 लम्बाई में) स्वीकृत होने से इस मार्ग की ल0 घटकर 1.50 कि0 मी0 रह गई है तथा इसका सयुक्त निरीक्षण भी 1.50 कि0 मी0 लम्बाई में किया गया है।

अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **0.997** है0, सिविल सोयम भूमि **0.053** है0 एवं वन पंचायत भूमि **0.000** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **0.000** है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षो की गणना 7 मीटर मे की गई है जो की वास्तविक रुप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का र्निमाण 6 मीटर मे होना प्रस्तावित है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत ग्राम क्यारी –कच्टा मार्ग से मैहसासा मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु प्रस्तावित लख्स्यार –लुधेरा क्यारी कचटा के कि0 मी0 2 से प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में एक हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। इस संरेखण में अधिकतर वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त बीच– बीच में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कमं होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– यह मार्ग लख्स्यार –लुधेरा क्यारी कचटा के कि0 मी0 2 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में कमः +17–18+17+20 लेवल ग्रेड़ दिये गये है, इस समरेखण में 2 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है, तथा ल0 2.00 कि0मी0 है। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूँकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 2** को निरस्त कर संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **1.50** कि0मी0 लम्बाई में लो0नि0वि0 के मानकों के अनुसार **7** मीटर चौड़ाइ तथा ल0 **75. 00** में आने वाली सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि **0.053** है0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता
अ0खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड,
लो0नि0वि0,सहिया